

संचालनालय

महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती. भवन, ब्लाक-1, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर

दूरभाष क्रमांक 0771-2234192, 2234188(Fax) email : dirwcd.cg@nic.in

क्रमांक/1101/मबावि/मसमि/23-24
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक 08/02/2024

1. कलेक्टर
जिला- समस्त, छत्तीसगढ़
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी/
जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला- समस्त, छत्तीसगढ़।

विषय:- महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन अंतर्गत प्रथम चरण हेतु समय-सीमा का निर्धारण बाबत।

संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन का आदेश क्रमांक एफ 3-23/2023/50 दिनांक 02.02.2024।

राज्य शासन के संदर्भित आदेश पत्र के द्वारा महतारी वंदन योजना का क्रियान्वयन प्रदेश में दिनांक 01.03.2024 से किए जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिशा निर्देश के साथ योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रथम चरण के लिए समय-सारिणी भी संलग्न कर सभी जिलों को प्रेषित किया गया है।

कृपया समय-सारिणी का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए क्रियान्वयन के प्रत्येक कार्यों का संपादन सुनिश्चित किया जाना है ताकि दिनांक 08.03.2024 को योजना अंतर्गत हितग्राहियों को प्रथम चरण के भुगतान की कार्यवाही संपादित किया जा सकें। पत्र के साथ क्रियान्वयन की पुनः समय-सारिणी संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया समय-सीमा के संबंध में मैदानी अमलो को विशेष रूप से अवगत कराते हुए कार्य संपादन करावाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


(मुनिका प्रजापति)
संचालक

महिला एवं बाल विकास
नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/1101/मबावि/मसमि/23-24
प्रतिलिपि -

नवा रायपुर, दिनांक 08/02/2024

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत, जिला- समस्त, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3. आयुक्त, नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय प्रशासन विभाग, जिला-समस्त, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. बाल विकास परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, परियोजना-समस्त, जिला- समस्त, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

P. Prasad
संचालक
महिला एवं बाल विकास
नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.)

महतारी वंदन योजना क्रियान्वयन हेतु समय-सीमा

क्रं.	गतिविधियाँ	समय-सीमा
1	योजना अंतर्गत जिलों को निर्देश जारी करना।	02.02.2024
2	मैदानी अमलो को योजना दिशा-निर्देश के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन	03.02.2024
3	ऑनलाईन/ऑफलाईन आवेदनो का पंजीयन प्रारंभ।	05.02.2024
4	आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि।	20.02.2024
5	अनन्तिम सूची जारी करने की तिथि।	21.02.2024
5	अनन्तिम सूची पर आपत्ति करने की अवधि।	21 से 25.02.2024
6	आपत्ति निराकरण हेतु अवधि।	26 से 29.02.2024
7	अंतिम सूची का प्रकाशन	01.03.2024
8	स्वीकृति पत्र जारी करने की तिथि	05.03.2024
9	राशि अंतरण का दिनांक	08.03.2024


Sriyash
15/2/24

छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)
::: आदेश :::

नवा रायपुर, दिनांक 02/02/2024

क्रमांक एफ 3-23/2023/50 : राज्य शासन एतद्वारा प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार, परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने हेतु 'महतारी वंदन योजना 2024' की स्वीकृति प्रदान करता है।
2/ योजना के विस्तृत दिशा निर्देश परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(सुभाष चंद्र कुजूर)
अवर/सचिव

छत्तीसगढ़ शासन


महिला एवं बाल विकास विभाग

पृ. क्रं. एफ 3-23/2023/50

नवा रायपुर, दिनांक 02/02/2024

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/वित्त विभाग/समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर।
5. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
6. संचालक, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर।
7. संभागीय आयुक्त, संभाग-समस्त, छत्तीसगढ़।
8. कलेक्टर, जिला-समस्त, छत्तीसगढ़।

9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला-समस्त, छत्तीसगढ़।
 10. जिला कार्यक्रम अधिकारी / जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला-समस्त, छत्तीसगढ़।
 11. बाल विकास परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना-समस्त, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग